



नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कार्यपालक निदेशक (ठेका व प्रापण) का कार्यालय

ब्रुकलैंड कम्पाउंड :: लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग - 793003

टेलीफोन संख्या 0364-2227784, ई-मेल Contract_neepco@yahoo.com

वेबसाइट : www.neepco.co.in : सीआईएन:यू40101एमएल1976जीओआई001658

ISO : 9001 : 2015, 14001 : 2015 & 45001 : 2018

एनआईबी सं. 382 दिनांक 12.04.2021 से संबद्ध

शुद्धिपत्र संख्या 01 दिनांक 28.04.2021

कार्य का नाम: कामेंग जल-विद्युत संयंत्र (600 मेगावाट), वेस्ट कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश के परिसंपत्तियों के लिए 17.06.2021 के 00:00:00 बजे से 1 (एक) वर्ष की अवधि हेतु सभी औद्योगिक जोखिम (आईएआर) बीमा पॉलिसी के लिए निविदा।

बोली दस्तावेज में उल्लेखित धाराओं के तहत निम्नलिखित क्लोज में किए गए संशोधन निम्नवत रूप में जारी किए जाते हैं।

1. क्लोज 2.0, धारा - IV: बीमा कवरेज का दायरा, नीचे दिए अनुसार संशोधित किया गया है :

2.0 धारा अनुसार कुल बीमाकृत राशि :

i) संबंधित धारा/जोखिम प्रकृति के बीमित राशि का विवरण इस प्रकार है :

क) कामेंग जल-विद्युत संयंत्र के सभी औद्योगिक जोखिम (आईएआर)

क्र.सं.	धारा/प्रवृत्ति	बीमित राशि (रुपये में)
1.	आईएआर कवर (सामग्री क्षति)	7648,96,83,737.51
2.	मशीनरी ब्रेक डाउन (एमबीडी)	1755,73,44,636.16
3.	भूकंप (ईक्यू) (प्लिंथ एंड फाउंडेशन सहित)	7648,96,83,737.51
4.	व्यावसायिक व्यवधान (एफएलओपी+ एमएलओपी)	
	एफएलओपी	928,54,25,582.40 (12 महीने)
	एमएलओपी	928,54,25,582.40 (12 महीने)

ख) कामेंग जल-विद्युत संयंत्र के लिए आतंकवाद कवर।

आतंकवादी क्षति {सामग्री क्षति (एमडी) + व्यावसायिक व्यवधान (बीएल) क्षति}	7648,96,83,737.51+928,54,25,582.40 = 8577,51,09,319.91
--	---

ग) कामेंग जल-विद्युत संयंत्र के लिए सार्वजनिक देयता औद्योगिक जोखिम कवर

1. संपत्ति क्षति के लिए सार्वजनिक देयता औद्योगिक जोखिम कवर :	रुपये 60 करोड़ (ओए : एओवाई - 15 करोड़ : 60 करोड़)
2. जीवन क्षति/शारीरिक चोट के लिए सार्वजनिक देयता औद्योगिक जोखिम कवर : (मृत्यु और स्थायी विकलांगता या शारीरिक चोट के मामले में देयता के लिए सीमा तय की जाएगी और यह मौजूदा कानून के अनुसार देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 15 करोड़ होगी)	रुपये 15 करोड़ (ओए : एओवाई - 05 करोड़ : 15 करोड़)

नोट : 1. वार्षिक सकल लाभ को एफएलओपी और एमएलओपी के लिए प्रत्येक व्यवसाय व्यवधान हेतु बीमित राशि माना जायेगा।

2. क्लोज 6.1, धारा - IV: बीमा कवरेज का दायरा को निम्नवत रूप में पढ़ा जाए :

"नीपको आवश्यकता के अनुसार पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित राशि (ज्यादा या कम) को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीमित राशि में बढ़ोतरी का संशोधन प्रो-राटा आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके विनियमित किया जाएगा। बीमाधारक द्वारा प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख से बीमा राशि में बढ़ोतरी का संशोधन प्रभावी होगा"।

3. क्लोज 2.0 (बी), धारा - V: बीमा पॉलिसी की शर्तों को निम्नवत रूप में पढ़ा जाए :

"नीपको आवश्यकता के अनुसार पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित राशि (ज्यादा या कम) को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीमित राशि में बढ़ोतरी का संशोधन प्रो-राटा आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके विनियमित किया जाएगा। बीमाधारक द्वारा प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख से बीमा राशि में बढ़ोतरी का संशोधन प्रभावी होगा"। बीमा राशि में कमी के मामले में, यह बीमाकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त करने की तारीख से लागू होगा और बीमाकर्ता द्वारा इस तरह की सूचना प्राप्त करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर नीपको को प्रो-रेट प्रीमियम वापस किया जाएगा।

4. धारा - VI: के तहत परिसंपत्तियों की सूची तथा इसके बीमित राशि का भेल्यू : परिसंपत्तियों का विवरण तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाता है। संशोधित परिसंपत्तियों की सूची और इसका बीमित राशि अनुबंध - I में संलग्न है।

5. धारा- VII (भाग - बी) के तहत फॉर्म - ए : मूल्य सूची तथा फॉर्म - बी : प्रीमियम का ब्रेक-अप : मूल्य बोली के लिए बोली फॉर्मों को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाता है। संशोधित फॉर्म - ए : मूल्य सूची और फॉर्म - बी : प्रीमियम का ब्रेक-अप, अनुबंध - II में संलग्न है। बोलीदाताओं को संशोधित फॉर्म-ए: मूल्य अनुसूची के अनुसार प्रीमियम को उद्धृत करना है और उसके अनुसार ही फॉर्म-बी: ब्रेक-अप प्रीमियम जमा करना है।

विस्तृत बोली दस्तावेज में निहित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ह./-

मुख्य महाप्रबंधक (सी)
प्रभारी ठेका व प्रापण